

कार्यालय मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ।

पत्रांक: 37/11 /मानचित्र अनु0 (जोन बी)/2015

दिनांक :- 26/11/15

मै0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन लि0,
द्वारा श्री राजेन्द्र शर्मा,
निवासी-15 यू0जी0एफ0 इन्द्रा प्रकाश,
बारह खम्बा रोड, नई दिल्ली।

आपके पत्र दिनांक 03.10.15 तलपट मानचित्र सं0 37/11 (संशोधित) के सम्बन्ध में आपके प्रस्तावित निर्माण को मौहल्ला/कालोनी/ग्राम जटौली, मेरठ के खसरा सं0 1745, 1744, 1743, 1718, 1719, 1720, 1715/1, 1670, 1672, 1671/1, 1671/2, 1679, 1680, 1669, 1685, 1686, 1684, 1687, 1682, 1683, 1664, 1681, 1668, 1665, 1667, 1666, 1662, 1663, 1688, 1600, 1609, 1652, 1651, 1673 में संशोधित कर निम्नलिखित शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की जाती है। स्वीकृत मानचित्र संलग्न है। उपरोक्त स्वीकृति उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-15 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह मानचित्र अनुमति दिनांक 26/11/15 तक वैध है।
2. मानचित्र की स्वीकृति से किसी भी शासकीय विभाग, स्थानीय निकाय अथवा किसी व्यक्ति के स्वत्व एवं स्वामित्व पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।
3. जिस प्रयोजन के लिए निर्माण की अनुमति दी जा रही है भवन उसी प्रयोग में लाया जायेगा। विपरीत प्रयोग उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 26 के अधीन दण्डनीय है।
4. उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 35 के अन्तर्गत यदि भविष्य में सुधार कार्य हेतु कोई सुधार व्यय मांगा जायेगा तो बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
5. जो क्षेत्र भूमि विकास कार्य में उपर्युक्त नहीं होगा वहाँ प्राधिकरण अथवा किसी स्थानीय निकाय की विकास कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं होगी।
6. स्वीकृत मानचित्र का सैट निर्माण स्थल पर प्रदर्शित करना होगा ताकि मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र के अनुसार कराया जायेगा।
7. आप भवन उप-नियमों के नियम 21 में अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र पर कार्य आरम्भ करने की सूचना देंगे।
8. निर्माण की अवधि में यदि स्वीकृत मानचित्र के विरुद्ध यदि कोई परिवर्तन आवश्यक है तो उसकी पूर्ण अनुमति प्राप्त करने का बाद ही परिवर्तन किया जायेगा।
9. निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने पर एक माह की अवधि के भीतर भवन उप-नियमों में निर्धारित प्रपत्र पर निर्माण पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे।
10. प्राधिकरण के अध्यासन (ओकूपैन्सी) प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही भवन को अध्यासित (ओकूपायी) करेंगे।
11. उपरोक्त शर्तों का उल्लंघन करने पर या कोई तथ्य छुपाकर मानचित्र स्वीकृत करने पर निरस्त करने का अधिकार प्राधिकरण सुरक्षित रखता है।

इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 26 के अधीन दण्डनीय अपराध होगा।

संलग्न: स्वीकृत मानचित्र की प्रति।
प्रतिलिपि:- नोडल अधिकारी को प्रेषित।

मुख्य नगर नियोजक,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।